

नम्बर व  
अहकाम  
हुक्म की  
में जारी

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)**

हासीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

कदमा नम्बर 242/2014 (92/2023 नवीन प्रकरण सख्या)

(राजस्व प्रार्थनापत्र)

01. श्री सुरेश आत्मज श्री काशीराम जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी- गराडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. श्री पूरण आत्मज श्री काशीराम जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी- गराडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) — प्रार्थीगण

**बनाम**

01. श्रीराम आत्मज श्री रंग लाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी- गराडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) —तर्क
02. श्री गोपाल आत्मज श्री रंगलाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी- गराडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. श्री लक्ष्मीनारायण आत्मज श्री काशीराम जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी- गराडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. वरूणशेखर आत्मज श्री नन्द कुमार जोशी आयु वयस्क निवासी- बी-258 आर.के.कॉलोनी, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0) — विपक्षीगण

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी0**

**प्रार्थनापत्र बाबत स्थगन**

उपस्थित :-

1. श्री बन्दू सिंह चुण्डावत
4. श्री मुकेश कुमार जैन
5. एकपक्षीय -

- अधिवक्ता प्रार्थीगण  
—अधिवक्ता वि.सं. 5  
—विपक्षी संख्या 2 से 4

**:: आदेश ::**

दिनांक- 12/11/2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा- 151 जा0दी0 का प्रार्थनापत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, माण्डल जिला भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 213/2002 राजस्व वाद गोपाल लाल ब्राह्मण बनाम श्री काशीराम व अन्य निर्णय दिनांक 04/07/2002 को अपास्त कराये जाने हेतु इस आशय का पेश किया जिसके साथ स्थगन प्रार्थनापत्र पेश किया कि विपक्षी संख्या 02 गोपाल द्वारा प्रार्थीगण के पिता काशीराम को प्रतिवादी संख्या 01 वाद मे बनाया गया, प्रकरण के सम्मन काशीराम जी को न्यायालय द्वारा कभी जारी किया गया ही तो उसकी जानकारी नही है एवं न ही सम्मन प्रार्थीगण के पिता को प्राप्त हुआ है। वादी ने तामिल कुलिन्दा से उक्त सम्मन परिवाद के किसी सदस्य के नाम की गलत तस्दीक बनाकर न्यायालय को मुगालते मे रखकर प्रार्थीगण के पिता के विरुद्ध उक्त प्रकरण मे एकपक्षीय आदेश दिनांक 16/06/2002 को करवा लिया व विपक्षी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मे ग्राम गराडिया के आराजियात कुल कित्ता 11 रकबा 31 बीघा 09 बिस्वा भूमि के विभाजन व घौषणा बाबत वाद पेश किया जिसमे अभिलिखित किया कि रंगलाल के निधन के बाद उनके तीनों पुत्रो ने आपस मे विभाजन कर लिया, जिसका विवरण चरण संख्या 03 मे दिया गया है, इस अनुसार दावा डिकी किया जावे जबकि कुलिया शामलाती थी व आज भी शामलाती है। प्रार्थीगण के चाचा श्रीराम ने भी अपने हिस्से की जमीन प्रार्थीगण के पिता काशीराम को विक्रय कर दी थी, जिसकी लिखापढी स्टाम्प पर की गयी, उक्त तथ्य को जानते हुए गोपाल ने गलत दावा प्रस्तुत कर परिवारजन को पता लगे बिना उक्त दावे को एकपक्षीय कर निर्णय करा लिया व इसके पश्चात संशोधित डिकी भी करा ली। प्रार्थीगण व उनके पिता को उक्त विभाजन की जानकारी कभी नही थी, किन्तु आज से कुछ दिन पूर्व गोपाल ने एक फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया कि इसने मेरी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर लिया, जिस पर प्रार्थी ने कहा कि जमीन शामलाती है तो गोपाल ने कहा कि विभाजन हो गया, फिर प्रार्थीगण ने पटवारी से सम्पर्क कर नकल लेने पर जानकारी हुई व जानकारी की

*Vguy*  
उपखण्ड अधिकारी पदेन  
सहायक कलेक्टर करेड़ा

नाक से अन्दर अवधि एक माह में यह आवेदन प्रस्तुत है व प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया गया।


इस पर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये व मामले में विपक्षी संख्या 05 वरुण शेखर द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 व धारा 151 जा0दी0 का इस आशय का पत्र किया कि आवेदनकर्ता ने वादग्रस्त आराजियात में से आराजी संख्या 150 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 162/2 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 966/163 रकबा 16 बिस्वा कुल कितना रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा को खातेदार श्रीराम पुत्र श्री रंग लाल ब्राह्मण से दिनांक 5/08/2011 को निष्पादित विक्रयपत्र जो दिनांक 08/08/2011 को पंजीकृत हुआ, के जरिये कय कर अपने आधिपत्य में प्राप्त किया, जिस पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है व आवेदनकर्ता द्वारा उक्त आराजी का राजस्व अभिलेख में नाम अंकित कराने हेतु तहसीलदार साहब, माण्डल को दिनांक 0/09/211 को प्रार्थनापत्र पेश किया व जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा के यहां प्रार्थनापत्र पेश किया, जिसकी कार्यवाही में तहसीलदार माण्डल द्वारा जारी एक पत्र दिनांक 10/01/2012 को आवेदनकर्ता को दिनांक 15/01/2012 को प्राप्त हुआ, जिसमें यह अंकित किया कि आवेदनकर्ता द्वारा कयशुदा आराजी के संबंध में सिविल न्यायालय, माण्डल के समक्ष प्रकरण विचारण होकर उसमें स्थगन आदेश पारित किया है, सिविल न्यायाधीश महोदय, माण्डल में एक प्रकरण सुरेश ब्राह्मण, पूरण ब्राह्मण एवं लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण ने एक वादपत्र विक्रयपत्र अनुबंध की विनिर्दिष्ट पालना करवाये जाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा का श्रीराम, गोपाल राज0 राज्य जरिये तहसीलदार साहब एवं उपपंजीयक महोदय, माण्डल के विरुद्ध पेश किया, जिसके प्रकरण संख्या 96/2011 ई0दी0 होकर अनवान लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण वगैरहा नाम श्रीराम ब्राह्मण वगैरहा है, उस प्रकरण में आवेदनकर्ता को न्यायालय द्वारा आवश्यक पक्षकार बनाया गया, उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 29/07/2017 को होकर सुरेश, पूरण, लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री काशीराम ब्राह्मण का वादपत्र न्यायालय द्वारा खारीज किया गया। सुरेश, पूरण व लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण ने एक वादपत्र दिनांक 04/08/2014 को श्रीराम ब्राह्मण व मुझ आवेदनकर्ता वरुण शेखर, राज0 राज्य जरिये जिलाधीश महोदय, भीलवाड़ा एवं तहसीलदार व उपपंजीयक महोदय, माण्डल के विरुद्ध जिला न्यायाधीश महोदय, भीलवाड़ा में विक्रयपत्र निष्पादित दिनांक 05/08/2011 पंजीयन दिनांक 08/08/2011 को निरस्त करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया, जिसके प्रकरण संख्या 233/2014 ई0दी0 होकर अंतरित होकर अपर जिला न्यायाधीश महोदय, संख्या-01 भीलवाड़ा जिसके प्रकरण संख्या 72/2014 ई0दी0 होकर दिनांक 25/10/2017 को खारीज हुआ, इसके पश्चात आवेदनकर्ता ने नामान्तराकरण करवाने हेतु तहसीलदार साहब, माण्डल के यहां आवेदन किया, जिसमें दिनांक 21/01/2019 को यह बताया कि उक्त आराजियात बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 242/2014 में दिनांक 14/02/2019 तक स्थगन है,, इस प्रकार प्रार्थीगण को प्रार्थनापत्र प्रस्तुती से पूर्व ही आवेदनकर्ता द्वारा भूमि विक्रय करने की जानकारी होने के बावजूद भी तथ्य छुपाकर आवेदनकर्ता को पक्षकार बनाये बिना उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है। मामले में मुझ आवेदनकर्ता को बतौर विपक्षी पक्षकार संयोजित किया जावे।

इस पर आवेदनकर्ता का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वरुण शेखर जोशी को बतौर विपक्षी संख्या 05 संयोजित किया गया। मामले में विपक्षी संख्या 02 लगायत 04 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी व विपक्षी संख्या 01 श्रीराम की प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर तामिल पेश कर तामिल नहीं करवायी गयी व विपक्षी संख्या 05 द्वारा विपक्षी संख्या 01 श्रीराम द्वारा उनका सम्पूर्ण हक हिस्सा विपक्षी संख्या 05 को विक्रय कर देने व उसका कोई हक अधिकार नहीं होने व विपक्षी संख्या 01 के हक हिस्से की भूमि बाबत विपक्षी संख्या 05 के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र को अपर जिला न्यायाधीश महोदय, संख्या-01 भीलवाड़ा द्वारा वैध मानते हुए प्रार्थीगण के वादपत्र को खारीज किया जाने से विपक्षी संख्या 01 को तर्क करने हेतु निवेदन किया गया, जिस पर विपक्षी संख्या 01 का नाम तर्क किया गया।

विपक्षी संख्या 05 द्वारा मामले में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की प्रति, प्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायाधीश महोदय, माण्डल जिला भीलवाड़ा में प्रस्तुत वादपत्र व निर्णय की प्रतिया व जिला न्यायाधीश महोदय, भीलवाड़ा में विक्रयपत्र निरस्तीकरण के प्रकरण की नकले, जमाबंदी की नकले व प्रकरण संख्या 213/2002 राजस्व वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा प्रार्थीगण के पिता को जारी सम्मन नोटिस की प्रति पेश की गयी, जिसे शामिल पत्रावली की गयी व साथ ही न्यायिक दृष्टान्त भी पेश किये गये।

अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व निम्न तीनों बिन्दुओं का विवेचन किया जाना न्याय संगत है—

- 1- प्रथम दृष्टया मामला
- 2- सुविधा संतुलन

  
उपखण्ड अधिकारी पदेन  
सहायक कलक्टर करेड

### अपूरणीय क्षति

सर्वप्रथम प्रथम दृष्टया मामला- विपक्षी संख्या 05 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया

जा जिसके अनुसार गोपाल लाल ब्राह्मण द्वारा प्रार्थीगण के पिता काशीराम व अन्य के विरुद्ध जो वादपत्र पेश किया गया, जिसके सम्मन नोटिस प्रार्थीगण को प्रोपर तामिल हुए हैं, जो पत्रावली में सम्मन नोटिस तामिल से साबित होता है व साथ ही उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 04/07/2002 को हुआ व प्रोपित निर्णय व डिक्री दिनांक 08/09/2005 को हो गयी, जिसकी पालना में खातेदारान के नाम पर भूमि अलग अलग हिस्से में दर्ज हो गयी व खातेदार श्रीराम द्वारा अपने एक हिस्से की भूमि विपक्षी संख्या 05 को दिनांक 08/08/2011 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये विक्रय की गयी, जिसमें भी बाद विभाजन श्रीराम के एक हिस्से में आयी भूमि का विक्रयपत्र पंजीयन हुआ व वर्ष 2011 में विपक्षी संख्या 05 द्वारा भूमि विक्रय की गयी, तत्समय ही प्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायाधीश महोदय, माण्डल जिला भीलवाड़ा में प्रकरण संख्या 96/2011 ई0दी0 प्रस्तुत किया गया, उक्त प्रकरण की जानकारी विपक्षी संख्या 05 को दिनांक 15/01/2012 को होने पर सिविल न्यायालय में पक्षकार संयोजित हुआ, जिस समय भी विपक्षी संख्या 05 द्वारा श्रीराम द्वारा विपक्षी संख्या 05 को बाद विभाजन दर्ज आराजी नम्बर कय करना बताया गया, जिस समय ही प्रार्थीगण को उक्त विभाजन की जानकारी हो गयी थी, इसके पश्चात प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 04/08/2014 को ही विपक्षी संख्या 05 के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र को निरस्तीकरण हेतु जिला न्यायाधीश महोदय, भीलवाड़ा में वादपत्र पेश किया गया, तत्समय भी उसे जानकारी थी, फिर भी न्यायालय में मिथ्या तथ्य अंकित कर दिनांक 01/04/2014 को पटवार हल्का से मिलने पर विभाजन की जानकारी होने के तथ्य अंकित कर उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया गया व साथ ही निर्णय व डिक्री होने के करीब 12 वर्ष बाद उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जिसमें देरी का कोई माकुल एवं युवितयुक्त कारण नहीं है व सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के अनुसार वर्ष 2012 में ही प्रार्थीगण को उक्त विभाजन की जानकारी हो चुकी थी व प्रार्थीगण के पिता काशीराम को भी प्रकरण के सम्मन नोटिस प्रोपर तामिल हुई है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र न्यायालय में तथ्य छुपाकर क्लीन हैण्ड से नहीं आये व असत्य तथ्यों पर प्रार्थनापत्र पेश किया है। विपक्षी संख्या 05 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का भी अवलोकन किया गया, जो प्रकरण में हुबहु चस्पा होते हैं। जिससे प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होता है, बल्कि विपक्षी संख्या 05 के पक्ष में प्रमाणित होता है।

सुविधा संतुलन- चूंकि विपक्षी संख्या 05 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये काबिज है व सिविल न्यायाधीश महोदय, माण्डल जिला भीलवाड़ा द्वारा भी प्रार्थीगण का वादपत्र खारीज किया जा चुका व विपक्षी संख्या 05 के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र को निरस्तीकरण का प्रार्थीगण का वाद भी न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश महोदय, संख्या-01 भीलवाड़ा द्वारा खारीज किया जा चुका है। जिससे सुविधा संतुलन का बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरुद्ध व विपक्षी संख्या 05 के पक्ष में प्रमाणित होता है।


अपूरणीय क्षति- चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दू विपक्षी संख्या 05 के पक्ष में प्रमाणित होने से मामले में अस्थयी निषेधाज्ञा जारी होने पर प्रार्थी के बजाय विपक्षी संख्या 05 को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरुद्ध व विपक्षी संख्या 05 के पक्ष में प्रमाणित होता है।

मैंने अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी व पत्रावली का अवलोकन किया गया, अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया जाहिर आया कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सारहीन होने व न्यायालय समय जाया करने की वृत्त से प्रस्तुत होने से खारीज होने योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी0 के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारीज किया जाता है। उक्त मामले में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 242/2014 राजस्व प्रार्थनापत्र जिसके बाद हस्तांतरित न्यायालय प्रकरण संख्या 92/2023 राजस्व प्रार्थनापत्र सुरेश व अन्य बनाम श्रीराम व अन्य में पारित अन्तरिम निषेधाज्ञा दिनांकित 30.04.2014 को खारीज की जाती है।

यह निर्णय आज दिनांक 12.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जोगेन्द्र सिंह)

उपखण्ड अधिकारी पदेन

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला  
भीलवाड़ा (राज0)